

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, नवम्बर 7—नवम्बर 13, 2004 शनिवार/कार्तिक 16—कार्तिक 22, 1926
No. 46] NEW DELHI, NOVEMBER 7—NOVEMBER 13, 2004 SATURDAY/KARTIKA 16—KARTIKA 22, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 384.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना [भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 3 जनवरी, 2004 को सा.का.नि. संख्या 2 के रूप में प्रकाशित] में नियमों के संशोधन के वर्ष को राजपत्र में इसके प्रकाशन के वर्ष के अनुरूप बनाने की दृष्टि से पैरा 1 (1) में निर्दिष्ट वर्ष को 2003 के स्थान पर 2004 पढ़ा जाए।

[फ़. सं. 11012/4/2003—स्था. (क)]

ए. प्रभाकरन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th November, 2004

G.S.R. 384.—In the notification of Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) dated 23rd December, 2003 [G.S.R. 2 dated 3rd January, 2004 published in

(the Gazette of India in Part-II, Section 3, sub-section (i)) the year indicated in para 1 (1) may be read as 2004 instead of 2003 to tally the year of the Amendment Rules with the year of its publication in the Gazette.

[F. No. 11012/4/2003-Estt. (A)]

A. PRABHAKARAN, Under Secy.